राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास विभाग, अनुभाग–5)

क्र. एफ 27(43)ग्रावि/ ग्रुप–5/पीएमएवाई–जी /M-1/विविध/2017–18 जयपुर, दिनांक 1 (अगस्त, 2017

आदेश संख्या 33/2017 (परिपत्र)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सभी को आश्रय वर्ष–2022 के मध्यनजर इन्दिरा आवास योजना को सुदृढीकरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण प्रारम्भ की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत प्रति इकाई अनुदान सहायता राशि को बढाकर रू. 1,20,000 कर दिया गया है। लाभार्थी के चयन का आधार SECC-2011 को आंकडों को रखा गया है।

इन्दिरा आवास योजना–ग्रामीण के स्थान पर सुदृढीकृत लागू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के सम्बन्ध में विभागीय स्थाई आदेश सख्या 28/2016 (परिपत्र) दिनांक 02.08.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देश/व्यवस्था प्रभावी है। जिसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 हेतु देय अनुदान राशि रू. 120000 तीन किश्तों में निम्नानुसार देय है :–

प्रथम किश्त	स्वीकृति के साथ	रू. 30,000/– (25%)
द्वितीय किश्त	कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर	रू. 60,000/– (50%)
तृतीय किश्त	आवास कार्य पूर्ण होने पर	रू. 30,000/– (25%)

विभिन्न योजनाओं (IAY+CMBPL+PMAY-G) के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 तक स्वीकृत/निर्माणाधीन आवासों हेतु देय किश्त पूर्व में जारी आदेशों के अनुसार यथावत रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 व उपरान्त आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध स्वीकृत आवासों हेतु देय अनुदान राशि रू. 120,000/– निम्नानुसार तीन किश्तो में देय होगी:–

प्रथम किश्त	स्वीकृति के साथ	रू. 30,000/– (25%)
द्वितीय किश्त	कुर्सी स्तर तक निर्माण पूर्ण करने पर	रू. 48,000/– (40%)
तृतीय किश्त	आवास कार्य पूर्ण होने पर	रू. 42,000/– (35%)

(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रावि एवं पंरावि

D:\iay\letter to district\Letter.docx

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय , ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
4. निंजी सचिव, संयुक्त सचिव (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/महात्मा गांधी नरेगा।
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
8. निदेशक (ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली को भेजकर आग्रह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत देय अनुदान राशि को उपरोक्तानुसार तीन किश्तों में दिये जाने का प्रावधान आवाससॉफ्ट में कराये जाने का श्रम करावें।
9. परियोजना निदेशक एवं पदेन उपसचिव(मो. एवं मू.) को विभागीय बेव–साईट पर अपलोड करने हेतु/वित्तीय सलाहकार/समस्त अनुभाग अधिकारी/जिला प्रभारी।
10. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता
(ग्रावि)

D:\iay\letter to district\Letter.docx